(पॉलिसी वर्ष 2016-17 के लिए) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की संशोधित नियमावली

योजना का ब्यौराः

पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना होगी जिसके तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है। योजना की अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा इस योजना को उपलब्ध/परिचालित किया जाएगा तथा अन्य साधारण बीमा कम्पनियां भी समान निर्धारित शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के उपरांत बैंकों के संबद्ध की सहभागिता से ऐसे उत्पाद को उपलब्ध करवा सकती हैं। इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहकों हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कम्पनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

कार्यक्षेत्रः सहभागी बैंकों के 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त अलग-अलग व्यक्तिगत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक के.वाई.सी. होगा।

नामांकन प्रणाली/अवधिः बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, जो 01 जून से 31 मई तक होगी। इस योजना में शामिल होने/भुगतान हेतु नामित बैंक खातों से ऑटो-डेबिट करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अदायगी पर बाद में योजना में शामिल होना संभव होगा। हालांकि, आवेदक अपने नामांकन/खाते से ऑटो-डेबिट हेतु अपना अनिश्चितकाल/लम्बे समय के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, जो विगत अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना के जारी रहने के तहत होगा। ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी भी स्तर पर योजना को छोड़ा हो, वे भविष्य में इस प्रणाली के तहत योजना में पुनः शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त वर्ग के नये सदस्य अथवा वर्तमान में ऐसे पात्र व्यक्ति जो इस योजना में पहले शामिल नहीं थे, वे भी भविष्य में योजना के जारी रहने पर शामिल हो सकते हैं।

लाभः

	लाभ की तालिका	**बीमित राशि**
क)	मृत्यु	2 लाख रूपये
ख)	दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	2 लाख रूपये
ग)	एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	1 लाख रूपये

प्रीमियमः प्रत्येक सदस्य को 12/- रूपये प्रतिवर्ष। यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बैंक खाते से "ऑटो-डेबिट" सुविधा के अनुसार एक किश्त में ही प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि पर योजना के तहत दिनांक 01 जून को अथवा इससे पूर्व काट ली जाएगी। तथापि, जिन मामलों में ऑटो-डेबिट 01 जून के बाद किया जाता है उसमें कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के 'ऑटो-डेबिट' की तिथि से प्रारंभ होगा।

वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। तथापि, अत्यधिक प्रकृति के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को दरकिनार करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले तीन वर्ष में प्रीमियम में कोई उत्तरोत्तर संशोधन न किया जाए, प्रयास किए जाएंगे।

पात्रता की शर्तें: सहभागी बैंकों के 18 वर्ष (पूरे कर चुके) और 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतर आयु) के बीच के व्यक्तिगत बैंक खाताधारकों को इस योजना में नामांकित किया जाएगा जिन्होंने उपर्युक्त तौर-तरीकों के अनुसार योजना में शामिल होने हेतु/ऑटो-डेबिट हेतु अपनी सहमति दी है।

मुख्य पॉलिसी धारकः सहभागी सदस्यों की ओर से सहभागी बैंक मुख्य-पॉलिसीधारक होगा। सहभागी बैंकों के परामर्श से संबंधित साधारण बीमा कंपनी द्वारा सरल और सदस्य हितैषी प्रशासन तथा दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कवर की समाप्तिः निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा और उस के अंतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगाः

1) 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतर आयु) प्राप्त करने पर।

2) बैंक खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।

3) यदि सदस्य एक-से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम तथा दोहरे बीमा(मों) को जब्त किया जा सकता है।

4) यदि देय तिथि पर अपर्याप्त राशि शेष होने अथवा किसी अन्य संचालन मुद्दे जैसे तकनीकी कारणों की वजह से बीमा कवर समाप्त हो गया है तो उसे निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति पर फिर से चालू किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान जोखिम कवर समाप्त (सस्पेंड) कर दिया जाएगा तथा जोखिम कवर को फिर से शुरू करना बीमा कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगा।

5) जब ऑटो-डेबिट विकल्प दिया गया हो तो भागीदार बैंक उसी माह में, वांछनीय होगा कि प्रत्येक वर्ष के मई माह में, प्रीमियम की राशि की कटौती करके उसी माह ही देय राशि को बीमा कंपनी के खाते में प्रेषित कर देंगे।

संचालनः योजना का संचालन, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आंकड़ा प्रवाह प्रक्रिया तथा आंकड़ा प्रोफार्मा अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्धारित अवधि के भीतर **ऑटो-डेबिट प्रक्रिया के माध्यम से** खाताधारकों से उचित वार्षिक प्रीमियम वसूल करना भागीदार बैंक का उत्तरदायी होगा।

भागीदार बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन फार्म/ऑटो-डेबिट प्राधिकरण प्राप्त किया तथा रखा जाएगा। दावा प्राप्त होने की स्थिति में, बीमा कम्पनी उसे प्रस्तुत करने को कह सकती है। बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

पावती पर्ची को पावती पर्ची-सह-बीमा प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।

पुनः अंशांकन के लिए, आवश्यकतानुसार, योजना के अनुभव की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाएगी।

प्रीमियम का विनियोजनः

1) बीमा कम्पनी को देय बीमा प्रीमियमः प्रति सदस्य 12 रूपये प्रति वर्ष;

2) बीसी/सूक्ष्म/कारपोरेट/एजेंट को बीमाकर्त्ता द्वारा व्ययों की प्रतिपूर्तिः प्रति सदस्य 1 रूपये प्रति वर्ष;

3) भागीदार बैंकों को बीमाकर्त्ता द्वारा संचालन व्यय की प्रतिपूर्तिः प्रति सदस्य 1 रूपये प्रति वर्ष।

योजना प्रारंभ होने की तिथि 01 जून, 2015 है। अगली वार्षिक नवीकरण तिथि आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष 01 जून होगी।

यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो योजना को नयी भावी नवीकरण तिथि के शुरू होने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है।